

## राज्य सरकार के मंत्रियों की वदिश यात्रा

### प्रलिस के लयः

वर्ल्ड सर्टिज़ समटि, कैबनल सचवलल, वदलश मंत्रालय (MEA), गृह मंत्रालय, वतलत मंत्रालय, केंद्रीय प्रशासनकल मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालयव ।

### मेन्स के लयः

केंदर-राज्य संबंघ और राज्यों में राज्यपाल की भूमकल का महत्त्व ।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में सगलपुर में आयोजतल वशल्व शहर शखलर सम्मेलन में दलल्ली के मुख्यमंत्री के भाग लेने की अनुमतल को असवीकृत कर दललल गयल ।

- साथ ही दलल्ली के राज्य परवलहन मंत्री ने राज्य सरकार के मंत्रियों की नजल वदलश यात्राओं के लयल केंदर दवलरल यात्रा मंजूरी की आवश्यक शरत को रदद कराने हेतु दलल्ली उच्च न्यायालय में एक याचकल दायर की ।

## मुददल:

- दलल्ली के मुख्यमंत्री को सगलपुर सरकार ने वशल्व शहर शखलर सम्मेलन में भाग लेने के लयल आमंत्रतल कलल थल लेकनल केंदर सरकार ने उनकी यात्रा मंजूरी को असवीकृत कर दललल थल ।
  - इसके अलावल केंदर सरकार का मानना है कल सगलपुर की यह यात्रा "उचतल नही" थी, क्योंकि इसमें ज़यादातर महापौरों ने भाग ललल थल और कसी भी मामले में, दलल्ली में शहरी शासन केवल राज्य सरकार की ज़मलमेदारी नहीं है ।
- साथ ही वर्ष 2019 में दलल्ली के मुख्यमंत्री के 7वें [C-40 वशल्व महापौर शखलर सम्मेलन](#) में भाग लेने के लयल कोपेनहेगन की प्रस्तावतल यात्रा को MEA ने बनल कोई कारण बताए खारज़ कर दललल थल ।

## अनुमोदन हेतु आवश्यक प्रावधान:

- वर्ष 1982 में कैबनल सचवललय ने राज्य सरकार और केंदरशासतल प्रदेशों के मंत्रियों तथल राज्य सरकार के अधिकारियों की वदलश यात्रा के संबंघ में दशल-नरलदेश जलरी कलल ।
  - राज्य सरकारों के सदस्यों दवलरल अपनी आधकलरकल कषमता में वदलश यात्राओं के लयलवदलश मंत्रालय (MEA), गृह मंत्रालय, वतलत मंत्रालय और केंद्रीय प्रशासनकल मंत्रालय से मंजूरी की आवश्यकता होती है ।
- इसके अलावल वर्ष 2004 में एक अनय आदेश परचललतल कलल गयल, जसलमें प्रावधानों को इस हद तक संशोधतल कलल गयल थल कल अंतमल आदेश वतलतल मंत्रालय दवलरल जलरी कलल जाने थे ।
  - इसमें कहा गयल है कल मुख्यमंत्रियों को आधकलरकल यात्रा से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय से अनुमोदन की आवश्यकता होती है ।
- वर्ष 2010 में फरल से एक और नरलदेश जलरी कलल गयल जसलने राज्य सरकार के मंत्रियों की नजल यात्राओं के लयल राजनीतकल मंजूरी अनवलर्य कर दी ।

## दायर की गई याचकल का आधार:

- नजलता के अधिकार का उल्लंघन:**
  - मंत्रियों दवलरल वदलश जाने की अनुमतल राज्य सरकार से लेना उनके नजलता के अधिकार और संवैधानकल पद की गरमल का उल्लंघन है ।
- राज्यपाल के कार्यालय का अधिकार कषेत्र:**
  - प्रस्तावतल सगलपुर यात्रा के खललफ सलाह देना [राज्यपाल](#) के अपने कार्यालय प्राधकलरण के अधिकार कषेत्र से बाहर है ।
- अनुच्छेद 21 का उल्लंघन:**
  - राज्यपाल और केंदर सरकार दवलरल मनमाने एवं सत्ता का गैर-जमलमेदारना कार्यान्वयन राष्ट्रीय हतल तथल [सुशासन](#) के खललफ है, साथ ही

अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत वदिश यात्रा के अधिकार को प्रभावति करता है ।

स्रोत: द हट्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/foreign-visit-of-the-state-government-ministers>

